दिनांक 05.04.2024
प्रेस विज्ञप्ति 05/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद हरदोई/थाना बिलग्राम

- **15–15 हजार रूपये के 03 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉक: 04.04.2024 को थाना बिलग्राम पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम ककराखेड़ा मोड़ से जाने वाले मार्ग पर कन्नौज हाईवे के निकट से पुरस्कार घोषित 03 अभियुक्तों 1–सचिन कुमार 2–आतिब 3–अशोक को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना बिलग्राम पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वॉछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15–15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बिलग्राम पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सचिन कुमार निवासी ग्राम जरौली शेरपुर थाना बिलग्राम जनपद हरदोई।

2–आतिब निवासी मोहल्ला सुल्हाडा थाना बिलग्राम जनपद हरदोई।

3–अशोक निवासी ग्राम जरौली शेरपुर थाना बिलग्राम जनपद हरदोई।

जनपद गोण्डा/थाना कर्नलगंज

- **पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट की घटना का अनावरण**
- **लूटे गये सोने के आभूषण**
- **लूट के माल ब्रिकी के 22 लाख रूपये नगद**
- **लूट के रूपये से खरीदी गयी कार, मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल**
- **04 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनॉक: 05.04.2024 को थाना कर्नलगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नरायनपुर माझा निकट रेलवे क्रासिंग के पास पुलिस

कार्यवाही में अभियुक्त 1—राघवेन्द्र उर्फ राजा घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2—सत्येन्द्र उर्फ उदय 3—सूरज 4—फरहान सहित गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटे गये सोने के आभूषण, लूट के माल ब्रिकी के 22 लाख रूपये नगद, लूट के रूपये से खरीदी गयी xuv कार, मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल, 04 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 04.03.2024 को थाना कर्नलगंज क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कर्नलगंज पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे।

इस सम्बन्ध में थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राघवेन्द्र उर्फ राजा निवासी शाहपुर बाजार थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

2—सत्येन्द्र उर्फ उदय निवासी शाहपुर बाजार थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

3—सूरज निवासी शाहपुर बाजार थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

4—फरहान निवासी आवास विकास कालोनी थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी

1—लूटे गये सोने के आभूषण।

2—लूट के माल ब्रिकी के 22 लाख रूपये नगद।

3—लूट के रूपये से खरीदी गयी xuv कार, मोबाइल फोन।

4—घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

5—04 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना बुढाना

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **160 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर**
- **40 अवैध नाल**
- **18 जीवित, 10 खोखा कारतूस विभिन्न बोर**
- **भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनॉकः 04/05.04.2024 की रात्रि थाना बुढाना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बुढाना सुगर मील जाने वाले रास्ते पर बन्द पड़े मकान से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 04 अभियुक्तों 1–जाबिर 2–सुभाष 3–महबूब 4–शौकत को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 160 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 40 अवैध नाल, 18 जीवित, 10 खोखा कारतूस विभिन्न बोर, भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त जाबिर के विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर के थाना बुढाना पर हत्या, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गुण्डा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 13 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना बुढाना पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–जाबिर निवासी ग्राम जौला थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर।

2–सुभाष निवासी ग्राम शाहपुर बटावली थाना बहसूमा जनपद मेरठ।

3–महबूब निवासी ग्राम जौला थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर।

4–शौकत निवासी ग्राम निरपुडा थाना दोघट जनपद बागपत।

बरामदगी

1–160 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2–40 अवैध नाल।

3–18 जीवित, 10 खोखा कारतूस विभिन्न बोर।

4–भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

जनपद हमीरपुर/थाना सिसोलर

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त गिरफ्तार**
- **34 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर**
- **02 जीवित, 02 खोखा कारतूस विभिन्न बोर**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनॉकः 04/05.04.2024 की रात्रि थाना सिसोलर व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम भुलसी हार में खेत में पेड़ो के नीचे से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त नंदराम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 34 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस विभिन्न बोर, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद हमीरपुर, महोबा के विभिन्न थानों पर आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सिसोलर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–नंदराम निवासी ग्राम बिलवई थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा।

बरामदगी

1–34 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2–02 जीवित, 02 खोखा कारतूस विभिन्न बोर।

3–अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

- **जनपद कुशीनगर (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 50 लाख रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)**

जनपद कुशीनगर पुलिस ने अभियुक्त इरफान अहमद पुत्र समुल्लाह निवासी मियां सराय थाना कोतवाली जनपद सम्भल द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल सम्पत्ति कीमत करीब 50 लाख रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

- **जनपद बदायूं/थाना दातागंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बदायूं पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बदायूं द्वारा थाना दातागंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366ए भादवि व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त प्रेमशंकर को आजीवन कारावास व 01 लाख 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद सम्भल/थाना जुनावई (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद सम्भल पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सम्भल द्वारा थाना जुनावई पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363 भादवि व 376 सपठित धारा 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अरविन्द को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

एसटीएफः समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा–2023 का पेपर लीक कराने वाले गैंग का सदस्य गिरफ्तार।

दिनांक 04–04–2024 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा–2023 का पेपर लीक कराने वाले गैंग के 01 सदस्य को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः

अमित सिंह पुत्र स्व0 शिवभूप सिंह, पता– डी 2173 इन्दिरा नगर, थाना–गाजीपुर, लखनऊ मूलपता–पांडे चौरा, पूरे वैस पुरवा, थाना करनैलगंज, गोण्डा।

बरामदगीः

1. 01 अदद मोबाईल फोन।

समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा–2023 का प्रश्न पत्र आउट होने/विभिन्न माध्यमों से वायरल होने की सूचनाओं/तथ्यो के आधार पर शासन द्वारा परीक्षा निरस्त कर सम्पूर्ण पेपर लीक प्रकरण की जांच एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को आवंटित की गयी। उक्त प्रकरण में श्री लाल प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी। थाना मंझनपुर, जनपद–कौषाम्बी में पंजीकृत मु0अ0सं0 41/2024 धारा 420, 467, 468, 471, 34 भादवि व 66 डी आईटी एक्ट में वांछित अरूण कुमार सिंह व सौरभ शुक्ला को दिनांक 15–03–2024 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ में जानकारी हुई कि समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा पेपर लीक कराने का मास्टर माइण्ड राजीव नयन मिश्र है। दिनांक 02–04–2024 को एसटीएफ नोएडा द्वारा राजीव नयन मिश्र को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त राजीव नयन मिश्रा उर्फ राहुल मिश्रा से पूछताछ में ज्ञात हुआ तथ्यों के आधार पर अमित सिंह उपरोक्त को दिनांक 04–04–2024 को एसटीएफ मुख्यालय पूछताछ हेतु बुलाया गया था। राजीव नयन ने पूछताछ में यह भी बताया था कि उसने समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर रू0 25 लाख में डा0 शरद सिंह को बेचा था।

अमित सिंह उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि वह गोमतीनगर में कामर्स की कोचिंग चलाता था। उसी दौरान दीपक दुबे बलिया के माध्यम से राजीव नयन उर्फ राहुल मिश्रा निवासी प्रयागराज से सम्पर्क हुआ। अमित सिंह ने राजीव नयन को टीजीटी परीक्षा–2020/21 का पेपर पढाने के लिए रूपये 20 लाख दिया था। उसके बाद से कई भर्ती परीक्षाओं में राजीव नयन को कैण्डिडेट उपलब्ध करा चुका है। राजीव नयन ने पुलिस भर्ती व आरओ/एआरओ भर्ती परीक्षा 2023 में पेपर आउट कराने के लिये कहा था तथा अमित सिंह से अभ्यर्थियों की व्यवस्था करने के लिये बोला था। राजीव नयन ने बताया था कि सभी अभ्यर्थियों को लखनऊ और प्रयागराज में पेपर का उत्तर पढ़ाया जायेगा। उक्त परीक्षा के पेपर के बदले डा0 शरद सिंह से 15 लाख रूपये प्रति अभ्यर्थी देना तय हुआ था। प्रारंभिक परीक्षा जो दिनांक 11–02–2024 को होनी थी उसके पहले प्रति अभ्यर्थी 2 लाख रूपये देना तय हुआ था, शेष पैसा काम होने के बाद देना था। सभी लड़कों को राजीव नयन मिश्र के नैनी प्रयागराज स्थित आरोग्यम हास्पिटल में ले जाकर पेपर पढवाया गया था। आरोग्यम हास्पिटल का मालिक राजीव नयन ही है। बाकी लड़कों के लिये राहुल ने बताया था कि डा0 शरद सिंह से सम्पर्क करें। डा0 शरद अपनी वरना कार व अन्य गाडियों में प्लासियो माल के पास अभ्यर्थियों को बैठाकर लगभग 02 घंटे तक पेपर पढ़ाया व लड़कों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया।

उ0प्र0 पुलिस भर्ती परीक्षा–2023 के पेरर लीक के सम्बन्ध में पूछने पर बताया कि उसने करीब 40 अभ्यर्थियों की व्यवस्था किया था जिनको राजीव नयन उर्फ राहुल मिश्रा के खास सहयोगी पुष्कर पांडेय अभ्यर्थियों को बस से रीवा लेकर गया। दिनांक 16.02. 2024 को दिन में शिव शक्ति रिसार्ट में सभी अभ्यर्थियों को पेपर पढवाया गया था। उसी दिन राजीव नयन उर्फ राहुल मिश्रा के पैसा मांगने पर अमित सिंह उपरोक्त ने अपने चचेरे भाई विजय प्रताप सिंह पुत्र अमरेश बहादुर सिंह निवासी पांडे चौरा, वैस पुरवा थाना करनैलगंज गोण्डा से बात करके तत्काल जरूरत बताकर 05 लाख रूपये राजीव नयन उर्फ राहुल मिश्रा के दिये हुए खाते में ट्रांसफर करा दिया था। यह पैसा आरओ/एआरओ भर्ती परीक्षा के पेपर के एवज में दिया था। शेष पैसा बाद में देने की बात हुयी थी। रीवा रिसार्ट में राजीव नयन मिश्र, कामेंश्वर मौर्या, पुष्कर पाण्डेय व अन्य कई लोग थे।

अमित सिंह उपरोक्त से प्राप्त जानकारी के आधार पर जिस खाते में 05 लाख रूपये ट्रांसफर करने की बात बतायी गयी उसकी पुष्टि हुई। अमित सिंह उपरोक्त से पूछताछ एवं प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) परीक्षा 2023 एवं पुलिस भर्ती परीक्षा–2023 के पेपर लीक कराया गया तथा परीक्षा की सुचिता भंग की गई है। जिस आधार पर अमित सिंह को समय 16.00 बजे हिरासत में लिया गया। अमित सिंह सीटेट परीक्षा पेपर आउट कराने के सम्बन्ध में जनवरी 2023 में थाना कंकरखेड़ा मेरठ से जेल जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त को थाना मंझनपुर जनपद कौशाम्बी में पंजीकृत मु0अ0सं0 41/2024 धारा 420, 467, 468, 471, 34 भा0द0वि0 व 66डी आई0टी0एक्ट में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

अभियुक्त अमित सिंह उपरोक्त का अपराधिक इतिहासः-

1– मु0अ0सं0 39/2023 धारा 420, 467,468, 471, 120बी भादवि, थाना कंकरखेड़ा, मेरठ।

एसटीएफः हाइवे से गुजरने वाले टैंकर चालको को प्रलोभन देकर टैंकर में लोड डीजल/ पेट्रोल निकालकर अन्तर्राज्यीय स्तर पर सप्लाई करने वाले गिरोह के 05 सदस्य लगभग 21,800 लीटर डीजल व लगभग 440 लीटर पेट्रोल के साथ कालपी जनपद जालौन से गिरफ्तार।

दिनांकः 04–04–2024 को एस0टी0एफ उ0प्र0 को हाइवे से गुजरने वाले टैंकर चालको को प्रलोभन देकर टैंकर में लोड डीजल/पेट्रोल निकालकर अन्तर्राज्यीय स्तर पर सप्लाई करने वाले गिरोह के 05 सदस्यों को लगभग 21,800 लीटर डीजल व 440 लीटर पेट्रोल के साथ टैंकर से डीजल निकालते समय कालपी जालौन से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण–

1– सैफ अली पुत्र रिफाकत अली निवासी भटटी पुरा, थाना कालपी, जालौन।

2– भूरा पुत्र गफफार निवासी राजघाट कालौनी ब्लाक 7, थाना कालपी, जालौन।

3– बरकत अली पुत्र सोहरत अली निवासी भटटी पुरा, थाना कालपी, जालौन।

4– मुस्ताक पुत्र कल्लू मामा निवासी मिर्जा मण्डी थाना कालपी, जालौन।

5– इरफान खान इकराम खान निवासी सदर बाजार थाना कालपी, जालौन।

बरामदगी–

1– कुल 21,800 लीटर डीजल (14 ड्रम लगभग 2800 लीटर एवं टैंकर में 19,000 लीटर)

2– कुल 440 लीटर पेट्रोल (02 ड्रम लगभग 400 लीटर लगभग पेट्रेल एवं 01 जरीकेन 40 लीटर)

3– एक अदद छोटा हाथी सुपर कैरी न0 यू0पी0 92 टी 9430

4– एक अदद टैंकर न0 यू0पी0 53 डीटी 7505।

5– नगद 8070/– रूपये।

6– 04 अदद मोबाइल फोन।

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समयः– कानपुर झॉसी हाईवे पर चौहान ढ़ाबा के पास थाना क्षेत्र कालपी जनपद जालौन दिनांक 04–04–2024 समय करीब 22:00 बजे।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में डीजल व कैमिकल आदि को टैंकर चालको की मिली भगत से चोरी से निकाल कर बिक्री करने वाले गिरोह के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अनुपालन में श्री दिनेष कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन किया जा रहा था।

दिनांक 04–04–2024 को अभिसूचना संकलन के दौरान उ0नि0 राहुल परमार को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि अवैध तरीके से डीजल के टैंकरो से चोरी करने वाले गिरोह के सदस्यो द्वारा कालपी जनपद जालौन में हाईवे से गुजरने वाले टेंकरो के चालको को प्रलोभन देकर टेंकरो में लोड डीजल को चोरी से निकाल कर हाइवे के पास ही चिन्हित स्थान पर रखते है। इस सूचना पर एसटीएफ कानपुर टीम स्थानीय पुलिस

को साथ लेकर चौहान ढ़ाबा के पास थाना क्षेत्र कालपी, जालौन से उपरोक्त 05 व्यक्तियों को टैंकर से तेल चोरी करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया तथा उनके कब्जे से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त सैफ अली व बरकत अली ने पूछताछ में बताया कि उन लोग का एक गिरोह है जो कई वर्षो से हाइवे से गुजरने वाले टैंकरो के ड्राइवरों को प्रलोभन देकर डीजल/पेट्रोल चोरी करता है। वह चोरी किये हुए डीजल/पेट्रोल को अन्तर्राज्यीय स्तर पर कम दामों में बेचते है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना कोतावली कालपी जनपद जालौन में मु0अ0सं0 77/2024 धारा 41/411 भादवि पंजीकृत कराया गया है, अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

एस0टी0एफ0—डकैती, हत्या एवं सामूहिक दुराचार की घटना में हरियाणा राज्य के कैथल एवं कुरूक्षेत्र जनपद के न्यायालय से आजीवन कारावास की सजा से दण्डित अभियुक्त जो सजा के दौरान पैरोल के बाद उपस्थित न होने पर वांछित रू0 25 हजार के छैमार जनजाति गिरोह का अपराधी आजम उर्फ खादिम उर्फ गुल्लु गिरफ्तार।

दिनांकः 04—04—2024 को एस0टी0एफ0 फील्ड यूनिट गौतमबुद्धनगर को डकैती, हत्या एवं सामूहिक दुराचार की घटना में हरियाणा राज्य के कैथल एवं कुरूक्षेत्र जनपद के न्यायालय से तीन अलग—2 अभियोगों में आजीवन कारावास एवं अन्य कारावास की सजा से दण्डित अभियुक्त आजमग उर्फ खादिम जो करनाल जेल में निरूद्व था जिसको दिनांक 05—12—2016 को चार सप्ताह का पैरोल दिया गया था, पैरोल पर छूटने के बाद फरार हो गया था तथा अपना नाम पता व पहचान बदलकर पुलिस से छिपता घूम रहा था जिसके विरूद्ध थाना बुटाना जनपद करनाल में पैरोल जम्प करने का मुकदमा पंजीकृत था तथा इसकी गिरफ्तारी हेतु रू0 25,000/— का ईनाम घोषित था, को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः—

आजम उर्फ खादिम उर्फ गुल्लु पुत्र बाबू खॉ उर्फ शरीफ उर्फ अनार मौहम्मद निवासी श्याम नगर मझोला, कायमगंज थाना कायमगंज जनपद फर्रूखाबाद।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त से बरामदगी-</u>

1– 01 अदद तमंचा 315 बोर

2– 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

3– 01 अदद कूटरचित आधार कार्ड (फर्जी नाम खुशनसीब से)

दिनांक घटना/घटनास्थल/समय– दिनांक 04–04–2024, तिलपता गोल चक्कर के पास थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर क्षेत्र, समयः लगभग 21.15 बजे

विगत काफी दिनों से प्रदेश के जनपदों में वांछित, पुरस्कार घोषित एंव घूमन्तु जाति के अपराधियों द्वारा सक्रिय होकर अपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में श्री राज कुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 गौतमबुद्धनगर के निर्देशन एवं श्री नवेन्दु कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0, यूनिट नोएडा के नेतृत्व में निरीक्षक श्री सचिन कुमार एस0टी0एफ0 की टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 04–04–2024 को अभिसूचना संकलन के दौरान एस0टी0एफ0 यूनिट गौतमबुद्धनगर को विश्वसनीय एवं मुखबिर के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि हरियाणा राज्य से कई अभियोगों में सजा पाया हुआ वांछित एवं ईनामी अपराधी आजम उर्फ गुल्लु पुत्र बाबू खॉ अपना भेष बदलकर नोएडा क्षेत्र में किसी गंभीर घटना को अंजाम देने के लिए आया हुआ है, जिसके द्वारा पूर्व में डकैती, हत्या एवं बलात्कार जैसी जघन्य घटनाओं को अंजाम दिया गया है। इस सूचना को विकसित करने के उपरान्त एस0टी0एफ0 फील्ड यूनिट गौतमबुद्धनगर की टीम द्वारा गन्तव्य स्थान पर पहॅुचकर घेराबंदी करके ईनामी अपराधी आजम उर्फ खादिम उर्फ गुल्लु को उपरोक्त स्थल से गिरफ्तार कर लिया। जिससे उपरोक्त बरामदगी हुई ।

गिरफ्तार अभियुक्त आजम उर्फ खादिम उर्फ गुल्लु ने पूछताछ पर बताया कि वह छैमार जनजाति से है। शुरूआत से ही वह अपने चाचा मीर हसन एवं शरीफ खान के साथ खानाबदोश रहकर इधर–उधर घूमता रहता था, और अपराधिक घटनाओं को अंजाम देता था। अपने चाचा मीर हसन एंव शरीफ के लडको के साथ मिलकर अपराधिक घटनाओ को करने में शामिल होने लगा। अभियुक्त आजम उर्फ खादिम उर्फ गुल्लु द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर राजस्थान एंव हरियाणा आदि क्षेत्रों में घूमकर कई गंभीर अपराधिक घटनाए कारित की गई थी, जिसमें डकैती, डकैती के साथ हत्या की

घटना एवं बलात्कार जैसी सनसनीखेज घटनाए भी शामिल है। अभियुक्त आजम उर्फ खादिम उर्फ गुल्लु द्वारा की गयी घटनाए जिनमें प्रमुख रूप से निम्न हैः–

1– दिनांक 13–04–2010 को अभियुक्त आजम उर्फ खादिम उर्फ गुल्लु ने अपने साथी शहनशांह पुत्र मीर हसन

2–जोरा पुत्र शरीफ हसन, 3– राजू पुत्र गुलाम अली 4–सपीन पुत्र गुलाम अली 5– सलमान पुत्र अली हसन के साथ मिलकर थाना पूडरी कैथल हरियाणा क्षेत्र के डयोढा गॉव में सरदार मंजीत सिंह के घर में डकैती डाली गयी थी जिसमें 02 लोग गंभीर रूप से घायल हो गये थे। इस जघन्य घटना के सम्बन्ध में थाना पूडरी जनपद कैथल पर मु0अ0सं0 74/10 धारा 395/32/506 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ है। इस अभियोग में सभी अपराधी जेल गये थे तथा माननीय न्यायालय अतिरिक्त सेशन जज कैथल के आदेश दिनांकित 11–05–2011 के द्वारा सभी अभियुक्तों को 08 वर्ष की सजा सुनाई गयी थी ।

2– अभियुक्त आजम उर्फ खादिम उर्फ गुल्लु सहित सभी 06 अभियुक्तों द्वारा दिनांक 19–03–2010 को कुरूक्षेत्र हरियाणा के थाना पीहोवा क्षेत्र के अन्तर्गत डकैती की घटना कारित की गयी थी जिसमें परिवार के सदस्यों को मारपीट कर घायल कर दिया था तथा एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी थी, इस सनसनीखेज वारदात के सम्बन्ध में थाना पीहोवा पर मु0अ0स0ं 85/2010 धारा 458/460/506 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ है। इस अभियोग में अभियुक्त आजम उर्फ खादिम उर्फ गुल्लु आदि सहित सभी 06 अभियुक्तों को अतिरिक्त सेशन जज कुरूक्षेत्र के आदेश से आजीवन करावास की सजा सुनाई गयी थी।

3– इसके अतिरिक्त अभियुक्त आजम उर्फ खादिम उर्फ गुल्लु आदि के द्वारा थाना सदर कैथल हरियाणा क्षेत्र में घर में घुसकर डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था तथा युवती के साथ सामूहिक दुराचार भी किया गया था, इस जघन्य घटना के सम्बन्ध में थाना सदर कैथल हरियाणा पर मु0अ0सं0 65/2010 धारा 94/458/376(2)(जी)/506 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ है। इस अभियोग में माननीय न्यायालय अतिरिक्त सेशन जज कैथल के आदेश दिनांकित 30–09–2011 के द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त आजम उर्फ खादिम उर्फ गुल्लु आदि सभी अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी।

उल्लेखनीय है कि करनाल की जेल में बन्द रहकर अभियुक्त आजम उर्फ खादिम उर्फ गुल्लु 2– सलमान 3– राजू 4– सपीन 5– शहनशांह तथा 6– जोरा सजा काट रहे थे इसी दौरान दिनांक 05–12–2016 को माननीय न्यायालय के आदेश से अभियुक्त आजम उर्फ खादिम उर्फ गुल्लु को चार सप्ताह के पैरोल पर छोड़ा गया था परन्तु पैरोल की समाप्ति के उपरान्त अभियुक्त आजम उर्फ खादिम उर्फ गुल्लु फरार हो गया था, इस फरारी के सम्बन्ध में अभियुक्त आजम उर्फ खादिम उर्फ गुल्लु के विरूद्ध थाना बुटाना जनपद करनाल पर मु0अ0सं0 25/2017 धारा 8/9 गुड कन्डेक्ट प्रिजनर्स प्रीवोकेशन एक्ट 1988 का अभियोग दर्ज हुआ है और इस अभियोग में अभियुक्त आजम उर्फ खादिम उर्फ गुल्लु वांछित चल रहा था। इसके गिरफ्तारी हेतु एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस क्राईम, हरियाणा पंचकुला के स्तर से रू0 25,000/– का पुरस्कार घोषित हो रखा था। यह भी उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त आजम उर्फ खादिम उर्फ गुल्लु निवासी श्यामनगर, कायमगंज जनपद फर्रूखाबाद क्षेत्र में छिपकर फर्जी नाम खुशनसीब गुल्लू पुत्र शरीफ खां के नाम से फर्जी दस्तावेज बनवाकर रह रहा था और खुशनसीब गुल्लू के नाम से कूटरचित आधार कार्ड भी बनवा लिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त अभियुक्त आजम उर्फ खादिम उर्फ गुल्लु के विरूद्ध निम्न अभियोगों का पंजीकृत होना ज्ञात हुआ हैः–

1– मु0अ0सं0 74/2010 धारा 395/32/506 भादवि थाना पूडरी जनपद कैथल हरियाणा।

2– मु0अ0सं0 85/2010 धारा 458/460/506 भादवि पीहोवा जनपद कुरूक्षेत्र हरियाणा ।

3– मु0अ0सं0 65/2010 धारा 94/458/376(2)(जी)/506 भादवि थाना सदर कैथल हरियाणा।

4– मु0अ0सं0 235/2010 धारा 399/402 भादवि थाना सदर कैथल हरियाणा ।

5– मु0अ0सं0 25/2017 धारा 8/9 गुड कन्डेक्ट प्रिजनर्स प्रीवोकेशन एक्ट 1988 थाना बुटाना करनाल हरि0

6– मु0अ0सं0 191/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट एवं 419/420/468/471 भादवि थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर।

गिरफ्तार अभियुक्त आजम उर्फ खादिम उर्फ गुल्लु उर्फ खुशनसीब के विरूद्ध थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर पर मु0अ0सं0 191/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट एवं 419/420/468/471 भादवि का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

———–